तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुयें
17/03/26	वकुलाय उप.आज पीठासीन अधिकारी प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त ....में पधार है। पत्रावली दिनांक... 21.04/26 को पेश हो। [signature]	
21/04/26	वकुलाय उप.आज पीठासीन अधिकारी प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त ....में पधार है। पत्रावली दिनांक.... 19/05/26 को पेश हो। [signature]	
19-05-2026	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 (2) के तहत एक स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 07.10.2024 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र में संबंधित कार्यवाही/आदेश के विरुद्ध अंतरिम स्थगन प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया था। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के उपरांत प्रकरण विभिन्न तिथियों पर विचाराधीन रहा। आज दिनांक तक उक्त प्रार्थना पत्र किसी प्रकार का अंतरिम स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया। साथ ही यह भी परिलक्षित होता है कि जिस प्रयोजन एवं परिस्थितियों के आधार पर स्थगन प्रार्थना पत्र प्रसतुत किया गया था, वे परिस्थितियाँ वर्तमान में अस्तित्व में नहीं रही हैं तथा समय व्यतीत हो जाने के कारण स्थगन प्रार्थना पत्र का औचित्य समाप्त हो चुका है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र अप्रभावी (Infructuous) हो जाने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली	